

छत्तीसगढ़ शासन  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4-14/2017/18

नया रायपुर दिनांक 31 / 01 / 2018

प्रति,

समस्त आयुक्त,  
नगर पालिक निगम,  
.....(छ0ग0)।

विषय:- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018 की अधिसूचना छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16.01.2018 को प्रकाशित हो चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया संलग्न सेवा शर्तों नियम के अनुसार शर्तों तथा प्रदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोपरि

(एच.आर.दुबे) आ/

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया रायपुर दिनांक 31 / 01 / 2018

पृ0 क्रमांक एफ 4-14/2017/18

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, नया रायपुर,
2. समस्त आयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय छ0ग0
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर उनकी टीपे क्रमांक 436 दिनांक 12.01.2018 के संदर्भ में छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 16.01.2018 की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।
4. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अप्रेषित।

अवर सचिव आ/

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018 — पौष 28, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/2017/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 58 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नगर पालिक निगमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेटअप, संख्या, नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

#### नियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2018 कहलायेंगे।
  - इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
  - ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.—** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - “अधिनियम” से अभिप्राय होगा, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956);
  - “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्राय होगा, धारा 58 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसार, यथास्थिति, मेयर-इन-कौंसिल अथवा आयुक्त;
  - “समिति” से अभिप्राय होगा, अभ्यर्थियों के चयन के लिए मेयर-इन-कौंसिल द्वारा गठित समिति;
  - “डाईंग सर्ग” से अभिप्राय होगा, नगर निगम स्थापना में स्वीकृत पदों का ऐसा सर्ग जो निगम में कार्यरत है किन्तु अनुसूची-एक में दर्शित नहीं है;
  - “अन्य एजेन्सी” से अभिप्राय होगा, राज्य शासन द्वारा निगम के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विनिर्दिष्ट कोई एजेन्सी;
  - “शासन” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग;

- (छ) "धारा" से अभिप्राय होगा, अधिनियम की सुसंगत धारा;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।
3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.**— (1) सेवा में सम्मिलित पद ऐसे होंगे, जो अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट हैं :
- परन्तु अनुसूची—एक में सम्मिलित पद, जिसके विरुद्ध टिप्पणी कथित है कि वे शासन के अनुमोदन के अधधीन हैं, शासन द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात् ही तथा ऐसी तारीख से एवं ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जैसा कि शासन इस संबंध में अधिसूचित करे, सम्मिलित समझे जायेंगे।
- (2) सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण, उनकी संख्या तथा उससे संबंधित वेतनमान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अधधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा :
- परन्तु पदों की संख्या का निर्धारण नगर पालिक निगम के परामर्श से किया जायेगा।
- (3) अनुसूची—एक में किसी परिवर्तन के पश्चात्, यदि किसी विद्यमान कर्मचारी का वेतनमान, निम्नतर वेतनमान के अधीन आता है, तो वह, अगले उच्चतर वेतनमान में पदस्थ होने तक अपने वर्तमान वेतनमान में ही वेतन आहरित करता रहेगा; तथा यदि नया वेतनमान उच्चतर हो, तो उसका वेतन, नये वेतनमान में नियत किया जायेगा।
4. **भर्ती का तरीका.**— अनुसूची—दो में अंतर्विष्ट शर्तों के अधधीन रहते हुए, सेवा में सम्मिलित पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा :
- परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में, नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव पर किसी नगर पालिक निगम के संबंध में राज्य शासन, अनुसूची—दो की शर्तों में उपान्तरण कर सकेगी।
5. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता.**— सीधी भर्ती के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—
- (1) आयु :— सीधी भर्ती के लिए, न्यूनतम तथा उच्चतर आयु सीमा तथा उच्चतर आयु सीमा के संबंध में शिथिलीकरण ऐसी होगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के लिये नियत है।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं :— सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक अर्हतायें, राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा के लिये यथा प्रयोज्य, अनुसूची—तीन के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी।
- (3) आरक्षण :—
- (क) भर्ती के प्रक्रम पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, तदधीन, जारी निर्देश, लागू होंगे।
- (ख) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिये तीस प्रतिशत पद, आरक्षित रखे जायेंगे।
- (ग) आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) से संबंधित हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 के अनुसार तैयार की गई रैंक सूची में आये हों।
- (घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता के आधार पर सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमी—लेयर) के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (ङ) निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिये, पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे।

6. **अपात्रतायें** :- नियुक्ति के लिए अपात्रतायें निम्नानुसार होंगी :-
- अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों में समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास;
  - राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय की सेवा से भविष्य में नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित एवं सेवा से पदच्युत अभ्यर्थी;
  - नैतिक अधमता अंतर्वलित किसी प्रकरण में दोषी साबित या अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति।
7. **पात्रता या अपात्रता के संबंध में विनिश्चय**.- किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।
8. **सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया**.- (1) जब सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाला पद रिक्त हो तथा नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि पद को निगम के हित में भरा जाना है तो नियुक्ति प्राधिकारी विनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा अथवा मेरिट के आधार पर किया जाये।
- अभ्यर्थियों का चयन, या तो समिति या व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
  - यदि चयन मेरिट के आधार पर किया जाना है तो आयुक्त, विहित प्रारूप में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कम से कम दो प्रादेशिक स्तर के स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से, आवेदन आमंत्रित करेगा।
  - आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, आवेदनों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा।
  - चयन समिति, मेरिट के आधार पर या प्रतियोगिता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। इस सूची में रिक्त पदों की संख्या से दुगुनी संख्या में अभ्यर्थियों के नाम होंगे। यह सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
  - नियुक्ति प्राधिकारी, चयन सूची का अनुमोदन करेगा और तदपश्चात्, उसका प्रकाशन करायेगा तथा ऐसी सूची, निगम में नियुक्ति के लिये उसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य होगी:  
परंतु यह कि राज्य शासन, सूची की वैधता में छः माह की अतिरिक्त वृद्धि कर सकेगा।
  - नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।
  - चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त है।
  - छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु चयन :- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम, सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से, अभ्यर्थियों का चयन करने विकल्प ले सकेगा। मेयर-इन-कौंसिल द्वारा अनुमोदन होने पर, आयुक्त, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को लिख सकेगा तथा उनकी चयन सूची प्राप्त होने पर, वह मेरिट के अवरोही क्रम में नियुक्ति करेगा तथा धारा 58 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) के अधीन आने वाले पदों के संबंध में, राज्य शासन का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त की जायेगी:  
परन्तु यह कि निगम, राज्य शासन के सम्यक् परामर्श पश्चात्, चयन हेतु अन्य एजेंसी को संलग्न कर सकेगा।
  - डाईंग कांडर से संबंधित कर्मचारियों की सेवायें, उनके सेवानिवृत्त होने तक जारी रहेगी एवं पदोन्नति प्रक्रिया, उस पद के लिए लागू अनुसार रहेगी।
9. **संविलियन**.- समिति, संविलियन के लिए सभी प्रकरणों की सूक्ष्मता से जांच की जायेगी। पदोन्नति/सीधी भर्ती समिति की अनुशंसा, प्रकरणों की जांच करने के पश्चात् प्राप्त की जायेगी। संविलियन, मेयर-इन-कौंसिल से अनुमोदन उपरांत समान वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता होने पर ही किया जा सकेगा। तथापि, धारा 58 की उप-धारा (1) के खण्ड (तीन) के अंतर्गत आने वाले पदों के संबंध में राज्य शासन का पूर्व अनुमोदन सम्यक् रूप से प्राप्त किया जायेगा।

10. **परिवीक्षा.**— (1) किसी पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये गये व्यक्ति को, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारण होने पर, परिवीक्षा की कालावधि ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करेगा, जैसा कि राज्य शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर, अवधारित करे।
- (4) यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या परिवीक्षा के अंत में किसी भी समय यह पाया जाता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने उसको दिये गये अवसर का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं किया है या उसने उस स्तर को, जिसकी उससे प्रत्याशा की जाये, प्राप्त नहीं किया है या वह, उसके द्वारा धारित पद के लिए उपयुक्त नहीं है या वह अन्यथा अनुपयुक्त पाया गया है, तो वह कोई विभागीय जाँच किये बिना, पदच्युत किया जा सकेगा।
- (5) कोई व्यक्ति, जिसे परिवीक्षा के दौरान या इसके अंत में सेवा से पदच्युत किया गया हो, निगम या शासन से किसी प्रकार के प्रतिकर के लिए पात्र नहीं होगा।
11. **पदोन्नति.**— (1) नियम 4 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट समिति, ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाया गया है।
- (2) जब पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु तात्पर्यित पद, रिक्त हो जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, रिक्त पद को भरा जाना निगम के हित में आव यक है, तो आयुक्त, अनुसूची-चार के कॉलम (3) के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, उनकी चरित्रावली अभिलेख, ऐसे कर्मचारियों को दिये गये पुरस्कार/दण्ड के ब्यौरे, तैयार करेगा तथा उसे अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (3) उप-नियम (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समिति उन सभी कर्मचारियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है, (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में), उतने वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप-नियम (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :
- परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने सेवा की अपेक्षित अवधि पूर्ण कर ली है।
- (4) (क) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में योग्यता-सह-वरिष्ठता (मेरिट-कम-सीनियरिटी) तथा द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियरिटी-सब्जेक्ट-टू फिटनेस) के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के लिए आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र, राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार या इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगा।
- (5) समिति, ऐसे व्यक्तियों की, जो उप-नियम (3) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हों और जो समिति की राय में, पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों, सूची तैयार करेगी। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।
- (6) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।
- (7) समिति, चयन सूची को, समिति की बैठक की तारीख से एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।
- (8) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों :
- परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी, सूची में किसी नाम से सहमत नहीं है तो लिखित में पर्याप्त तथा स्पष्ट कारण देने के पश्चात् ऐसा नाम सूची से हटा सकेगा।
- (9) सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के लिये प्रस्ताव, संचालनालय के माध्यम से भेजे जायेंगे। संचालनालय, पंद्रह दिवस की अवधि के भीतर राज्य शासन के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा।

12. **वरिष्ठता** — निगम के किसी पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति की वरिष्ठता, उसके सेवा ग्रहण करने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी तथापि, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति, किसी एक ही तारीख को सेवा ग्रहण करते हैं, तो उनकी वरिष्ठता का अवधारण, राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए इस संबंध में बनाये गये नियमों और इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे परिवीक्षा कालावधि पूर्ण करने के पश्चात् किसी भी कारण से नियमित नहीं किया जा सका हो, उसे अन्य परिवीक्षाधीन कर्मचारियों, जिन्हें पहले नियमित किया जा चुका है, से नीचे रखा जाएगा।
13. उन पदों, जिसमें शासन का अनुमोदन आवश्यक है, पर ऐसा अनुमोदन प्राप्त किये बिना, कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा। यदि आदेश जारी किया जाता है तो ऐसा आदेश, स्वमेव शून्य माना जायेगा।
14. **अधिवार्षिकी आयु** — निगम के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु, शासकीय कर्मचारियों के समान होगी।
15. **सेवा की अन्य शर्तें**— (1) निगम, ऐसी प्रक्रिया एवं पद्धति अवधारित करने हेतु सक्षम होगा, जिसके अधीन चिकित्सा उपचार, भविष्य निधि तथा पेंशन का विनिश्चय किया जा सकेगा। सेवा की अन्य शर्तें, जो इन नियमों में उपबंधित नहीं हैं, ऐसी होंगी, जो कि समतुल्य ग्रेड के शासकीय कर्मचारियों को समय-समय पर लागू होती हैं।
- (2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय कर्मचारियों को लागू होने वाले समय-समय पर यथा संशोधित निम्नलिखित नियम, निगम के कर्मचारियों को भी लागू होंगी, अर्थात्:—
- (क) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम (जिल्द (वाल्जूम) एक तथा दो)
- (ख) छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
- (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010
- (घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
- (ङ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
16. **स्थानान्तरण**— राज्य शासन, अधिनियम की धारा 58 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम के किसी कर्मचारी को एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरित कर सकेगा।
17. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
18. **शिथिलीकरण**— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत शक्ति को सीमित करती है, परन्तु यह कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व, राज्य शासन का पूर्व अनुमोदन, आवश्यक है। राज्य शासन को शिथिलीकरण की शक्ति होगी।
19. **निरसन तथा व्यावृत्ति** — नियम 13 के अधीन रहते हुए, कोई नियम, जो कि इन नियमों के पूर्व प्रवृत्त था, इसके अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित हो जायेंगे :
- परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन जारी कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के अधीन जारी आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप-सचिव.



अनुसूची-एक  
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आयुक्त	शासन द्वारा यथा निर्धारित	1. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना राज्य शासन द्वारा की जायेगी 2. मेयर-इन-कौंसिल 3. आयुक्त, नगर पालिक निगम	
2.	अपर आयुक्त	15600-39100+7600		
3.	उपायुक्त	15600-39100+6600		
4.	जोन कमिश्नर	15600-39100+5400		
5.	निगम सचिव	15600-39100+5400		
6.	विधि अधिकारी	15600-39100+5400		
7.	समाज कल्याण अधिकारी	15600-39100+5400		
8.	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800+4300		
9.	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक ग्रेड-एक	5200-20200+2800		
10.	लेखापाल	5200-20200+2400		
11.	सहायक ग्रेड-दो	5200-20200+2400		
12.	सहायक ग्रेड-तीन	5200-20200+1900		
13.	रिकार्ड कीपर	5200-20200+2400		
14.	दफ्तरी	4750-7440+1400		
15.	भृत्य	4750-7440+1300		
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक	9300-34800+4400		
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	9300-34800+4300		
18.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	5200-20200+2800		
19.	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200+1900		
20.	प्रोग्रामर (ई-गवर्नेंस ऑफिसर)	15600-39100+5400		
21.	सहायक प्रोग्रामर (एम.आई.एस. एसोसिएट)	9300-34800+4300		
22.	तकनीकी सहायक (जी.आई.एस. एसोसिएट)	5200-20200+2200		
23.	जनसम्पर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.)	15600-39100+5400		
24.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	9300-34800+4200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	जनसम्पर्क सहायक	5200-20200+2200		
26.	मुख्य लेखाधिकारी	15600-39100+6600		
27.	लेखाधिकारी	15600-39100+5400		
28.	सहायक लेखाधिकारी	9300-34800+4300		
29.	मुख्य अभियंता	37400-67000+8700		
30.	अधीक्षण अभियंता	15600-39100+7600		
31.	कार्यपालन अभियंता	15600-39100+6600		
32.	सहायक अभियंता	15600-39100+5400		
33.	उप-अभियंता	9300-34800+4200		
34.	मानचित्रकार	9300-34800+4200		
35.	सहायक मानचित्रकार	5200-20200+2400		
36.	समयपाल/कार्य सहायक	5200-20200+1900		
37.	रसायनज्ञ (केमिस्ट)	9300-34800+4200		
38.	मैकेनिक	5200-20200+2400		
39.	वाहन चालक	5200-20200+1900		
40.	इलेक्ट्रिशियन/हेड मिस्त्री	5200-20200+1900		
41.	फिटर	5200-20200+1900		
42.	पम्प ऑपरेटर/पम्प अटैण्डेण्ट/पंप सहायक	5200-20200+1900		
43.	प्लम्बर	5200-20200+1900		
44.	नगर निवेशक	15600-39100+6600		
45.	सहायक नगर निवेशक	15600-39100+5400		
46.	स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)	15600-39100+5400		
47.	स्वास्थ्य अधिकारी (गैर एम.बी.बी.एस.)	15600-39100+5400		
48.	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी(एम.बी.बी.एस.)	15600-39100+5400		
49.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	9300-34800+4400		
50.	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	9300-34800+4200		
51.	स्वच्छता निरीक्षक	5200-20200+2800		
52.	स्वच्छता पर्यवेक्षक/ सफाई दरोगा	5200-20200+1900		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	15600-39100+5400		
54.	राजस्व अधिकारी / संपदा अधिकारी	15600-39100+5400		
55.	सहायक राजस्व अधिकारी	9300-34800+4200		
56.	सम्पत्ति कर अधिकारी	9300-34800+4400		
57.	राजस्व निरीक्षक	5200-20200+2800		
58.	राजस्व उप निरीक्षक	5200-20200+2200		
59.	सहायक राजस्व निरीक्षक	5200-20200+1900		
60.	उद्यान अधिकारी	15600-39100+5400		
61.	उद्यान अधीक्षक / उद्यान सुपरवाइजर	9300-34800+4300		
62.	माली	4750-7440+1300		
63.	वरिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	5200-20200+2800		
64.	कनिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	5200-20200+1900		
65.	प्राचार्य	15600-39100+5400		
66.	व्याख्याता	9300-34800+4300		
67.	उच्च श्रेणी शिक्षक	9300-34800+4200		
68.	व्यायाम शिक्षक	9300-34800+4200		
69.	सहायक शिक्षक	5200-20200+1900		
70.	प्रयोगशाला सहायक	5200-20200+1800		
71.	ग्रंथपाल	5200-20200+1900		
72.	उद्यान निरीक्षक	5200-20200+2800		
73.	पटवारी	5200-20200+2400		
74.	भवन निरीक्षक	9300-34800+4200		
75.	सामुदायिक संगठक	9300-34800+4200		
76.	पर्यावरण अधिकारी	15600-39400+5400		
77.	सहायक पर्यावरण अधिकारी	9300-34800+4300		

- टीप- 1. किसी संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या, शासन द्वारा अनुमोदित सेट-अप के अनुसार होगी।
2. वेतन बैंड 9300-34800+4400 ग्रेड पे एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पद, मेयर-इन-कौंसिल की प्राधिकारिता के अधीन होंगे।

अनुसूची - दो  
(नियम 4 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
		सीधी भर्ती द्वारा [नियम 8(1) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम 11(1) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर (नियम 16 देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आगुक्त	—	—	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा अन्य सेवा के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा	
2.	अपर आयुक्त	—	—	100% राज्य प्रशासनिक सेवा/विभागीय/नगरपालिका सेवा के अधिकारी	
3.	उपायुक्त	—	75%	25% राज्य प्रशासनिक सेवा/विभागीय नगरपालिका सेवा के अधिकारी	
4.	जोन कमिश्नर	—	—	राज्य प्रशासनिक सेवा/विभागीय/नगरपालिका सेवा के अधिकारी	
5.	निगम सचिव	—	100%	—	
6.	विधि अधिकारी	100%	—	—	
7.	समाज कल्याण अधिकारी	100%	—	—	
8.	कार्यालय अधीक्षक	—	100%	—	
9.	सहायक कार्यालय अधीक्षक/सहायक ग्रेड-एक	—	100%	—	
10.	लेखापाल	—	100%	—	
11.	सहायक ग्रेड-दो	—	100%	—	
12.	सहायक ग्रेड-तीन	75%	25%	—	
13.	रिकार्ड कीपर	—	100%	—	
14.	दफ्तरी	—	100%	—	
15.	भृत्य	100%	—	—	
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक	—	100%	—	
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	—	100%	—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	67%	33%	—	
19.	स्टेनो टायपिस्ट	100%	—	—	
20.	प्रोग्रामर(ई गवर्नेस ऑफिसर)	50%	50%	—	
21.	सहायक प्रोग्रामर (एम.आई.एस. एसोसिएट)	100%	—	—	
22.	तकनीकी सहायक (जी.आई.एस. एसोसिएट)	100%	—	—	
23.	जनसम्पर्क अधिकारी (पी.आर. ओ)	50%	50%	—	
24.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	50%	50%	—	
25.	जनसम्पर्क सहायक	100%	—	—	
26.	मुख्य लेखाधिकारी	—	100%	—	
27.	लेखाधिकारी	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
28.	सहायक लेखाधिकारी	75%	25%	—	
29.	मुख्य अभियंता	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
30.	अधीक्षण अभियंता	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
31.	कार्यपालन अभियंता	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
32.	सहायक अभियंता	—	73%	27%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	उप अभियंता	95%	5%	-	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
34.	मानचित्रकार	-	100%	-	
35.	सहायक मानचित्रकार	100%	-	-	
36.	समयपाल/ कार्य सहायक	100%	-	-	
37.	रसायनज्ञ (केमिस्ट)	100%	-	-	
38.	मैकेनिक	100%	-	-	
39.	वाहन चालक	100%	-	-	
40.	इलेक्ट्रिशियन/ हेड मिस्त्री	100%	-	-	
41.	फिटर	100%	-	-	
42.	पम्प ऑपरेटर/ पम्प अटैण्डेण्ट/ पंप सहायक	100%	-	-	
43.	पंप सहायक	100%	-	-	
44.	प्लम्बर	100%	-	-	
45.	नगर निवेशक	-	100%	-	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
46.	सहायक नगर निवेशक	50%	-	50%	
47.	स्वास्थ्य अधिकारी	-	100%	-	
48.	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	100%	-	-	
49.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	-	100%	-	
50.	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	-	100%	-	
51.	स्वच्छता निरीक्षक	50%	50%	-	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52.	स्वच्छता पर्यवेक्षक / सफाई दरोगा	100%	—	—	
53.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	100%	—	—	
54.	राजस्व अधिकारी / संपदा अधिकारी	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
55.	सहायक राजस्व अधिकारी	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
56.	सम्पत्ति कर अधिकारी	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
57.	राजस्व निरीक्षक	50%	50%	—	
58.	राजस्व उप निरीक्षक	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
59.	सहायक राजस्व निरीक्षक	75%	25%	—	
60.	उद्यान अधिकारी	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
61.	उद्यान अधीक्षक / उद्यान पर्यवेक्षक	—	100%	—	
62.	माली	100%	—	—	
63.	वरिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
64.	कनिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	100%	—	—	

65.	प्राचार्य	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
66.	व्याख्याता	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
67.	उच्च श्रेणी शिक्षक	—	100%	—	यदि पदों को नहीं भरा जा सका है तो अन्य सेवा से पदस्थापना की जायेगी
68.	व्यायाम शिक्षक	100%	—	—	
69.	सहायक शिक्षक	100%	—	—	
70.	प्रयोगशाला सहायक	100%	—	—	
71.	ग्रंथपाल	100%	—	—	
72.	भवन निरीक्षक	100%	—	—	
73.	उद्यान निरीक्षक	100%	—	—	
74.	पटवारी	100%	—	—	
75.	सामुदायिक संगठक	100%	—	—	
76.	पर्यावरण अधिकारी	—	100%	—	
77.	सहायक पर्यावरण अधिकारी	100%	—	—	

अनुसूची-तीन  
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विधि अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि
2.	समाज कल्याण अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.डब्ल्यू. में स्नातकोत्तर उपाधि।
3.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
4.	भृत्य	-तदैव-	-तदैव-	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :- (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये- हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>
6.	स्टेनो टायपिस्ट	-तदैव-	-तदैव-	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)</p>
7.	प्रोग्रामर (ई गवर्नेस ऑफिसर)	-तदैव-	-तदैव-	बी.ई/बी.टेक/आई.टी. या कम्प्यूटर साईंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी या समतुल्य श्रेणी अथवा एम.सी.ए./एम.एस.सी. /आई.टी./ कम्प्यूटर साईंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि
8.	सहायक प्रोग्रामर (एम.आई.एस. एसोसिएट)	21 वर्ष	-तदैव-	<p>बी.ई/बी.टेक/बी.एस.सी.(इंजी.) में प्रथम श्रेणी में स्नातक, 60% अंकों या समतुल्य श्रेणी सहित</p> <p>अथवा</p> <p>एम.सी.ए. / एम.सी.एम. / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर भौतिकशास्त्र/ गणित/ सांख्यिकी/ ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस में प्रथम श्रेणी सहित/एम.ए. या स्नातक, 60% अंकों या समतुल्य श्रेणी सहित</p> <p>अथवा</p> <p>बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिकशास्त्र/ गणित/ सांख्यिकी/ ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र/ बी.एस.सी./ बी.ए.कम्प्यूटर साईंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या न्यूनतम प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी</p>
9.	तकनीकी सहायक (जी. आई.एस. एसोसिएट)	-तदैव-	-तदैव-	<p>(क) इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/नॉन इंजीनियरिंग:- किसी मान्यता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थान से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि</p> <p>अथवा</p> <p>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र तथा न्यूनतम पांच वर्ष का कार्यानुभव।</p> <p>अथवा</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) विज्ञान – किसी मान्यता प्राप्त संस्था से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि।
10.	जनसम्पर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.)	–तदैव–	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में पत्रोपाधि 3. पत्रकारिता में उपाधि/पत्रोपाधि के साथ 3 वर्ष का कार्यानुभव
11.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी (पी.आर.ओ.)	–तदैव–	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में पत्रोपाधि 3. पत्रकारिता में उपाधि/पत्रोपाधि के साथ 3 वर्ष का कार्यानुभव
12.	जनसम्पर्क सहायक	18 वर्ष	–तदैव–	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में पत्रोपाधि
13.	सहायक लेखाधिकारी	21 वर्ष	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि तथा पी.जी.डी.सी.ए.
14.	उप अभियंता	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/मैकेनिकल/विद्युत में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि या समकक्ष अर्हता  अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. की उपाधि (ऐसे डिग्रीधारी को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी)
15.	सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	–तदैव–	वास्तुकला में पत्रोपाधि  अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में मानचित्रकारिता में प्रमाणपत्र  अथवा सर्वेक्षण का व्यावसायिक प्रमाणपत्र (सर्वेयर व्यवसाय प्रमाणपत्र)  अथवा इंडस्ट्रीयल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (त्रिवर्षीय) से प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र
16.	समयपाल/कार्य सहायक	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण (2) किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्नीक संस्थान से ट्रेसर पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि
17.	रसायनज्ञ (केमिस्ट)	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. उपाधि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	मैकेनिक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक ट्रेड में प्रमाणपत्र
19.	वाहन चालक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (2) हल्के एवं भारी मोटर का लाईसेंस होना चाहिये
20.	इलेक्ट्रिशियन/ हेड मिस्त्री	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रमाणपत्र।
21.	फिटर	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाणपत्र
22.	पम्प ऑपरेटर/ पम्प अटैण्डेण्ट/पंप सहायक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रमाणपत्र
23.	प्लम्बर	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाणपत्र
24.	सहायक नगर निवेशक	21 वर्ष	तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नगर निवेश में स्नातकोत्तर उपाधि
25.	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि
26.	स्वच्छता निरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में बी.एससी. की उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि
27.	स्वच्छता पर्यवेक्षक/ सफाई दरोगा	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये
28.	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए.एम.एस. उपाधि
29.	राजस्व निरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में उपाधि अथवा पत्रोपाधि
30.	सहायक राजस्व निरीक्षक	18 वर्ष	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में उपाधि /पत्रोपाधि होना चाहिये

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	उद्यान अधीक्षक/ उद्यान पर्यवेक्षक	21 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में उपाधि
32.	माली	18 वर्ष	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उद्यानिकी में प्रमाणपत्र
33.	कनिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) भारतीय खेल प्राधिकरण से तैराकी में प्रमाणपत्र
34.	व्यायाम शिक्षक	-तदैव-	-तदैव-	एक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि
35.	सहायक शिक्षक	-तदैव-	-तदैव-	मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं बी.टी.आई. प्रशिक्षण तथा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि होना चाहिये
36.	प्रयोगशाला सहायक	-तदैव-	-तदैव-	मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये
37.	ग्रंथपाल	21 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि
38.	उद्यान निरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से उद्यानिकी में उपाधि
39.	पटवारी	18 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र होना चाहिये
40.	भवन निरीक्षक	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि
41.	सामुदायिक संगठक	21 वर्ष	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि
42.	सहायक पर्यावरण अधिकारी	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण में बी. टेक. की उपाधि

अनुसूची - चार  
(नियम 11 देखिये)

स. क्र.	पद जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में उल्लिखित पदों में पदोन्नति के लिये, कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा का न्यूनतम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उपायुक्त	सचिव, निगम/राजस्व अधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
2.	निगम सचिव	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
3.	कार्यालय अधीक्षक	सहायक कार्यालय अधीक्षक/सहायक ग्रेड - एक	5 वर्ष का कार्यानुभव
4.	सहायक कार्यालय अधीक्षक/सहायक ग्रेड-एक	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल/रिकार्ड कीपर	5 वर्ष का कार्यानुभव
5.	लेखापाल	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष का कार्यानुभव एवं लेखा प्रशिक्षित
6.	सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष का कार्यानुभव
7.	सहायक ग्रेड-तीन	ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	5 वर्ष का कार्यानुभव
8.	रिकार्ड कीपर	सहायक ग्रेड-तीन	5 वर्ष का कार्यानुभव
9.	दपतरी	भृत्य	5 वर्ष का कार्यानुभव
10.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	5 वर्ष का कार्यानुभव
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	5 वर्ष का कार्यानुभव
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष का कार्यानुभव
13.	प्रोग्रामर (ई गवर्नंस आफिसर)	सहायक प्रोग्रामर (एम.आई.एस. एसोसिएट)	5 वर्ष का कार्यानुभव
14.	जनसंपर्क अधिकारी (पी.आर. ओ.)	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
15.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	जनसंपर्क सहायक	5 वर्ष का कार्यानुभव
16.	मुख्य लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
17.	लेखाधिकारी	सहायक लेखा अधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
18.	सहायक लेखाधिकारी	लेखापाल	5 वर्ष का कार्यानुभव
19.	मुख्य अभियंता	अधीक्षण अभियंता	5 वर्ष का कार्यानुभव
20.	अधीक्षण अभियंता	कार्यपालन अभियंता (सिविल/मेकनिकल/विद्युत)	5 वर्ष का कार्यानुभव
21.	कार्यपालन अभियंता	सहायक अभियंता (सिविल/मेकनिकल/विद्युत)	5 वर्ष का कार्यानुभव
22.	सहायक अभियंता	उप अभियंता/मानचित्रकार	10 वर्ष का कार्यानुभव
23.	उप अभियंता	कार्य सहायक/समयपाल	10 वर्ष का कार्यानुभव
24.	मानचित्रकार	सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष का कार्यानुभव
25.	स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी. एस.)	सहायक स्वास्थ्य अधिकारी (एम.बी.बी.एस.)	5 वर्ष का कार्यानुभव

(1)	(2)	(3)	(4)
26.	स्वास्थ्य अधिकारी (गैर एम. बी.बी.एस.)	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
27.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
28.	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
29.	स्वच्छता निरीक्षक	स्वच्छता पर्यवेक्षक/सफाई दरोगा	5 वर्ष का कार्यानुभव एवं मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में पत्रोपाधि धारक को प्राथमिकता दी जायेगी
30.	राजस्व अधिकारी/ संपदा अधिकारी	सहायक राजस्व अधिकारी /संपत्ति कर अधिकारी	5 वर्ष का कार्यानुभव
31.	सहायक राजस्व अधिकारी	राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
32.	सम्पत्ति कर अधिकारी	राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
33.	राजस्व निरीक्षक	राजस्व उप-निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
34.	राजस्व उप-निरीक्षक	सहायक राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
35.	सहायक राजस्व निरीक्षक	ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हों	5 वर्ष का कार्यानुभव
36.	उद्यान अधिकारी	उद्यान अधीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
37.	उद्यान अधीक्षक	उद्यान निरीक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
38.	वरिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	कनिष्ठ तैराक प्रशिक्षक	5 वर्ष का कार्यानुभव
39.	प्राचार्य	ब्याख्याता	शिक्षा विभाग में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार
40.	ब्याख्याता	उच्च श्रेणी शिक्षक/ प्रधानपाठक	शिक्षा विभाग में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार
41.	उच्च श्रेणी शिक्षक	सहायक शिक्षक	शिक्षा विभाग में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार
42.	पर्यावरण अधिकारी	सहायक पर्यावरण अधिकारी	सहायक पर्यावरण अधिकारी के रूप में 5
43.	नगर निवेशक	सहायक नगर निवेशक	5 वर्ष का कार्य अनुभव

- टीप :- (1) लेखापाल के पद, सर्वप्रथम सहायक ग्रेड-तीन से भरे जायेंगे। तत्पश्चात्, सहायक ग्रेड-दो के पद, सहायक ग्रेड-तीन से भरे जायेंगे। तत्पश्चात् रिकार्ड कीपर के पद, भरे जायेंगे।
- (2) सर्वप्रथम सहायक ग्रेड-तीन के पदों को तथा तत्पश्चात् सहायक राजस्व निरीक्षक के पदों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा।

मेयर इन कौंसिल/आयुक्त के अधीन पदों के लिए समिति  
[नियम 8 (4) तथा 11(1) देखिये]

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए समिति

(एक) मेयर-इन-कौंसिल की प्राधिकारिता के अधीन पदस्थापना हेतु :-

- |     |   |   |                       |
|-----|---|---|-----------------------|
| (1) | आयुक्त  | — | अध्यक्ष               |
| (2) | संबंधित विभागाध्यक्ष  | — | सदस्य                 |
| (3) | संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास का नामिती<br>जो उप संचालक की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा | — | सदस्य                 |
| (4) | आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी  | — | सदस्य सचिव एवं संयोजक |

(दो) आयुक्त की प्राधिकारिता के अधीन पदस्थापना हेतु :-

- |     |  |   |                       |
|-----|--|---|-----------------------|
| (1) | अपर आयुक्त या उपायुक्त                     | — | अध्यक्ष               |
| (2) | संबंधित विभागाध्यक्ष (जहाँ पद भरा जाना है) | — | सदस्य                 |
| (3) | आयुक्त द्वारा नामांकित अन्य विभागाध्यक्ष   | — | सदस्य                 |
| (4) | आयुक्त द्वारा नामांकित अधिकारी             | — | सदस्य सचिव एवं संयोजक |

नया रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 4-14/2017/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप-सचिव.



Naya Raipur, the 16th January 2018

NOTIFICATION

No. F 4- 14/2017/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 58 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), for regulation of the set-up, strength, appointment, pay-scale, allowances and other conditions of service of officers and employees of the Municipal Corporations, the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) These rules may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**-(1) In these rules, unless required otherwise by the context,—

(a) “Act” shall mean the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956);

(b) “Appointing Authority” shall mean the Mayor-in-Council or the Commissioner, as the case may be in terms of the proviso to sub-section (1) of Section 58;

(c) “Committee” shall mean the Committee constituted by the Mayor-in-Council for selection of the candidates;

(d) “Dying Cadre” shall mean such category of the sanctioned posts in the set-up of the Corporation as is working in the Corporation but not reflected in Schedule-I;

(e) “Other Agency” shall mean any agency specified by the State Government for direct appointment to the posts in the Corporation;

(f) “Government” means the Government of Chhattisgarh, Urban Administration and Development Department;

(g) “Section” shall mean the relevant Section of the Act;

(h) “Schedule” means the Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein, but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

3. **Categorization and Pay Scales.** — (1) The posts included in the service shall be such as are specified in Schedule-I :

Provided that the posts included in Schedule-I against which a remark is stated are subject to the approval of the Government, shall be deemed as included, only after such approval is granted by the Government and from such date and on such conditions, if any, as the Government may notify in this regard.

(2) The categorization of posts included in the service, their strength and the related pay-scales shall be determined by the appointing authority subject to the orders issued by the State Government from time to time:

Provided, that the strength shall be determined in consultation with the Municipal Corporation.

(3) Subsequent to any change in Schedule-I, if the pay-scale of an existing employee falls under a lower scale, he shall continue to draw his present pay scale till he gets posted in the higher pay scale; and if the new pay scale is higher, his pay shall be fixed in the new scale.

4. **Method of recruitment.**-Subject to the conditions contained in Schedule-II, the posts included in the service shall be filled by direct recruitment, promotion or deputation :
- Provided that, under special circumstances on a proposal of the appointing authority the State Government may modify the conditions in Schedule-II in respect of any Municipal Corporation.
5. **Eligibility for Direct Recruitment.**-In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-
- (1) Age:- For direct recruitment, the lower and upper age limit and relaxation in respect of upper age limit shall be the same as fixed by the State Government for Government service.
  - (2) Educational Qualifications:-The required educational qualifications for direct recruitment shall be as specified in column (5) of Schedule-III as applied by the State Government for Government service.
  - (3) Reservation:-
    - (a) In the course of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued, thereunder by the General Administrative Department shall be applicable;
    - (b) There shall be Thirty percent of the seats reserved for women in terms of Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment in Women) Rules, 1997;
    - (c) While filling up the reserved posts, irrespective of their standing vis-a-vis other candidates, candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be considered for appointment in the same order as their names appear in the rank list prepared in terms of rule 12;
    - (d) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes(Non-creamy layer) who have been declared suitable by the Committee for appointment in the service on the basis of their administrative acumen, may be appointed against posts reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes(Non-creamy layer);
    - (e) For candidates who are physically challenged, posts will be reserved according to the directions of the General Administrative Department.
6. **Ineligibility.**—The ineligibility for appointment shall be as follows :-
- (a) Any attempt by the candidate by any means to solicit support for his candidature;
  - (b) A candidate who has been dismissed from service and declared unfit for appointment in future by the State Government or a local body;
  - (c) One who has been proved guilty in a case involving moral turpitude or who has been convicted under the Untouchability (Offenses) Act, 1955 (No.22 of 1955).
7. **Decision regarding Eligibility or Ineligibility.**-The decision of the appointing authority regarding the eligibility or ineligibility of any candidate shall be final.
8. **The Procedure for Direct Recruitment.**-(1) When a post to be filled by direct recruitment falls vacant, and the appointing authority feels that the post should be filled up in the interest of the Corporation, then the appointing authority shall decide whether the selection of candidates should be on the basis of competitive examination or on merit.
- (2) The selection of candidates shall be made either by the Committee or by the Professional Examination Board.
  - (3) If merit is the basis for selection, the Commissioner shall invite applications within the specified time on the prescribed format through advertisements in at least two local regional newspapers.
  - (4) On receipt of applications, the Commissioner shall scrutinize the applications and prepare a list of eligible candidates.

- (5) The Selection Committee shall prepare a list of candidates on the basis of merit or marks obtained in the competitive examination. This list shall have candidates two times the number of vacant posts. This list will be submitted to the appointing authority.
- (6) The appointing authority shall approve the selection list and thereafter publish it and such list shall be valid for appointments in the Corporation for a period of one year from the date of its publication:  
 Provided that, the State Government may extend the validity of the list by a further period of six months.
- (7) The appointing authority shall make appointments in the same order as the names of the candidates appear in the selection list.
- (8) The mere inclusion of the name of a candidate in the selection list does not provide him with a guarantee of appointment unless the appointing authority after such investigation as he deems proper is satisfied that the candidate is suitable for appointment.
- (9) Selection for Direct Recruitment through Professional Examination Board.-Notwithstanding anything contained in these rules, the Corporation may choose to select candidates for direct recruitment through the Chhattisgarh Professional Examination Board. On approval by the Mayor-in-Council, the Commissioner shall write to the Professional Examination Board and on receipt of their selection list, he shall make appointments in the descending order of merit, and in respect of posts falling under clause (iii) in sub-section (1) of Section 58, prior approval of the State Government shall be obtained:  
 Provided, that the Corporation may, after due consultation with the State Government, engage another agency for selection.
- (10) The services of employees belonging to dying cadre shall continue till their retirement and the procedure of promotion shall remain as applicable for that post.
9. **Absorption.**—The Committee shall closely scrutinize all cases for absorption. Recommendation of the Promotion/ Direct Recruitment Committee shall be obtained after they have scrutinized the cases. Absorption may be done only after approval of Mayor-in-Council, subject to the pay scale and the educational qualifications being the same. Nevertheless, in respect of posts falling under clause (iii) in sub-section (1) of Section 58, prior approval of the State Government shall be duly obtained.
10. **Probation.** — (1) A person appointed through direct recruitment on any post shall be kept on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, on adequate grounds, extend the period of probation by a term not exceeding one year.
- (3) The person on probation shall undergo such training and clear such examinations as the State Government may by general or special order lay down from time to time.
- (4) If at any time during the period of probation or at the end of probation it is found that the person on probation has not fully utilized the opportunity presented to him or that he has not attained the level as was expected of him or that he is not fit for the post he occupies or if he is otherwise found to be unfit, he may be dismissed from service without any departmental inquiry.
- (5) A person who has been dismissed from service during probation or at the end of it, shall not be entitled to any compensation from the Corporation or the Government.
11. **Promotion.** — (1) Subject to the provisions contained in rule 4, the Committee specified in Schedule-IV shall select candidates for promotion to such posts as are specified in column (2) of Schedule-IV.
- (2) When a post meant to be filled through promotion falls vacant, and in the opinion of the appointing authority it is necessary in the interest of the Corporation to fill up the vacant post, then the Commissioner shall according to column (3) of Schedule-IV prepare a seniority list of officers /employees, their character record, details of awards/punishment given to such employees and present it to the Committee specified in Schedule -IV.
- (3) Subject to the provisions contained in sub-rule (4), the Committee shall consider the case of all such employees who have as on the first day of January of that year, completed the number

of years of service (whether on deputation or on original posting) on the posts specified in column (3) of Schedule-III to which the promotion is to be made, as specified in column (4) of Schedule-IV and who according to the provisions contained in sub-rule (4) deserve consideration:

Provided, that a junior person shall not get precedence over his senior only on the ground that he has completed the required length of service.

- (4) (a) In the case of Grade-I Officers, the selection of eligible candidates for promotion shall be made on merit-cum-seniority basis, and in the case of Grade-II, Grade-III and Grade-IV officers and employees, it shall be made on the basis of seniority subject to fitness.
  - (b) The reservation and consideration for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be in accordance with the rules framed by the State Government or the instructions in this regard issued from time to time.
  - (5) The Committee shall prepare a list of persons who fulfill the conditions laid down in sub-rule (3) and who in the opinion of the Committee are suitable for promotion. This list shall be sufficient to fill the vacancies expected to be created due to retirement and promotion for a period of one year from the date of preparation of the selection list.
  - (6) Name of the persons included in the list shall be in the order of seniority for posts specified in column (3) of Schedule-IV.
  - (7) The Committee shall forward the selection list to the appointing authority within one week of the meeting of the Committee.
  - (8) Appointment by promotion shall be made by the appointing authority in the same order as in which their names appear in the list:
 

Provided, that if the appointing authority is not satisfied with the inclusion of any name in the list, such name may be deleted after giving in writing sufficient and clear reasons.
  - (9) The proposal for appointment through direct recruitment/promotion shall be sent through the Directorate. The Directorate shall put up the proposal before the State Government within a period of fifteen days.
12. **Seniority.**—The seniority of a person working on a post of the Corporation shall be determined according to the date of his joining service. However, if two or more persons join service on the same date, the seniority between them shall be determined in accordance with the rules in this regard for State Government employees and the instructions in this regard issued from time to time. A person on probation, who could not be regularized in service after completion of his probation for any reason whatsoever, shall be placed below the other probationers who have been regularized before him.
  13. No order shall be issued in respect of posts that require approval of the Government, till such approval is obtained. If an order is issued, such order will be treated as automatically void.
  14. **Age of Superannuation.**—The superannuation age of the employees of the Corporation shall be the same as that of the Government employees.
  15. **Other Conditions of Service.** — (1) The Corporation shall be competent to determine the procedure and method under which the medical care, provident fund and pension may be decided. Other conditions of service not specified in these rules shall be the same as applicable from time to time to Government employees of equivalent grade.
    - (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the following rules as amended from time to time, applicable to Government employees shall also apply to the Corporation employees, namely :-
      - (a) Chhattisgarh Fundamental Rules (Vol. I & II)
      - (b) Chhattisgarh Travel Allowance Rules
      - (c) Chhattisgarh Civil Service (Leave) Rules, 2010
      - (d) Chhattisgarh Civil Service (Conduct) Rules, 1965
      - (e) Chhattisgarh Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966

16. **Transfer.**—The State Government may transfer an employee of the Corporation to another Corporation, subject to the provisions contained in Section 58 of the Act.
17. **Interpretation.**—If a question arises with respect to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government and the decision of the State Government shall be final.
18. **Relaxation.**—Nothing contained in these rules will be taken to mean that they restrict the reasonable and just power of the appointing authority in the case of any person to whom these rules apply, provided however that before any such action the prior approval of the State Government shall be essential. The State Government shall have the power of relaxation.
19. **Repeal and Savings.**—Subject to rule 13, any rule that was in force just before these rules came into force shall, in respect of the subjects dealt with herein, hereby stand repealed:

Provided that any order issued or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to be order issued or action taken under these rules.

By order and in the name of the Government of Chhattisgarh,  
R. EKKA, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I  
(See rule 3)

S. No.	Name of the Post included in the Service	Pay Scale Pay Band and Grade Pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner	As determined by the Government	1. Posting on deputation will be made by the Government. 2. Mayor in Council 3. Commissioner, Municipal Corporation	
2.	Additional Commissioner	15600-39100+7600		
3.	Deputy Commissioner	15600-39100+6600		
4.	Zone Commissioner	15600-39100+5400		
5.	Corporation Secretary	15600-39100+5400		
6.	Law Officer	15600-39100+5400		
7.	Social Welfare Officer	15600-39100+5400		
8.	Office Superintendent	9300-34800+4300		
9.	Assistant Office Superintendent/ Assistant Grade-I	5200-20200+2800		
10.	Accountant	5200-20200+2400		
11.	Assistant Grade-II	5200-20200+2400		
12.	Assistant Grade-III	5200-20200+1900		
13.	Record Keeper	5200-20200+2400		
14.	Daftari	4750-7440+1400		
15.	Peon	4750-7440+1300		
16.	Stenographer Grade-I	9300-34800+4400		
17.	Stenographer Grade-II	9300-34800+4300		
18.	Stenographer Grade-III	5200-20200+2800		
19.	Steno typist	5200-20200+1900		
20.	Programmer (e-Governance Officer)	15600-39100+5400		
21.	Assistant Programmer (MIS Associate)	9300-34800+4300		
22.	Technical Assistant (GIS Associate)	5200-20200+2200		
23.	Public Relations Officer (PRO)	15600-39100+5400		
24.	Assistant Public Relations Officer	9300-34800+4200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	Public Relations Assistant	5200-20200+2200		
26.	Chief Accounts Officer	15600-39100+6600		
27.	Accounts Officer	15600-39100+5400		
28.	Assistant Accounts Officer	9300-34800+4300		
29.	Chief Engineer	37400-67000+8700		
30.	Supertending Engineer	15600-39100+7600		
31.	Executive Engineer	15600-39100+6600		
32.	Assistant Engineer	15600-39100+5400		
33.	Sub-Engineer	9300-34800+4200		
34.	Draftsman	9300-34800+4200		
35.	Assistant Draftsman	5200-20200+2400		
36.	Timekeeper / Works Assistant	5200-20200+1900		
37.	Chemist	9300-34800+4200		
38.	Mechanic	5200-20200+2400		
39.	Driver	5200-20200+1900		
40.	Electrician / Head Mistry	5200-20200+1900		
41.	Fitter	5200-20200+1900		
42.	Pump Operator / Pump Attendant/ Pump Assistant	5200-20200+1900		
43.	Plumber	5200-20200+1900		
44.	Town Planner	15600-39100+6600		
45.	Assistant Town Planner	15600-39100+5400		
46.	Health Officer (M.B.B.S)	15600-39100+5400		
47.	Health Officer (Non M.B.B.S)	15600-39100+5400		
48.	Assistant Health Officer (M.B.B.S)	15600-39100+5400		
49.	Chief Sanitary Inspector	9300-34800+4400		
50.	Senior Sanitary Inspector	9300-34800+4200		
51.	Sanitary Inspector	5200-20200+2800		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	Sanitary Supervisor / Sanitary Daroga	5200-20200+1900		
53.	Ayurveda Medical Officer	15600-39100+5400		
54.	Revenue Officer / Estate Officer	15600-39100+5400		
55.	Assistant Revenue Officer	9300-34800+4200		
56.	Property Tax Officer	9300-34800+4400		
57.	Revenue Inspector	5200-20200+2800		
58.	Revenue Sub-inspector	5200-20200+2200		
59.	Assistant Revenue Inspector	5200-20200+1900		
60.	Garden Officer	15600-39100+5400		
61.	Garden Superintending/ Garden Supervisor	9300-34800+4300		
62.	Gardener	4750-7440+1300		
63.	Senior Swimming Trainer	5200-20200+2800		
64.	Junior Swimming Trainer	5200-20200+1900		
65.	Principal	15600-39100+5400		
66.	Lecturer	9300-34800+4300		
67.	Upper Grade Teacher	9300-34800+4200		
68.	Physical Instructor	9300-34800+4200		
69.	Assistant Teacher	5200-20200+1900		
70.	Laboratory Assistant	5200-20200+1800		
71.	Librarian	5200-20200+1900		
72.	Garden Inspector	5200-20200+2800		
73.	Patwari	5200-20200+2400		
74.	Building Inspector	9300-34800+4200		
75.	Community Organizer	9300-34800+4200		
76.	Environment Officer	15600-39400+5400		
77.	Assistant Environment Officer	9300-34800+4300		

- Note-** (1) The strength of sanctioned posts in any cadre shall be according to the set-up approved by the Government.
- (2) Post falling under pay band 9300-34800+4400 grade pay and above shall be under the authority of the Mayor-in-Council.

SCHEDULE-II  
(See rule 4)

S. No.	Name of the post included in the Service	Percentage of number of duty post shall be filled in			Remarks
		by Direct Recruitment [See rule 8(1)]	By Promotion [See rule 11(1)]	Persons from Other Services by transfer or on deputation (See rule 16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner	-	-	IAS Officer by transfer or SAS Officer by deputation or other service officer by deputation	
2.	Additional Commissioner	-	-	100% Officers of SAS/ departmental / Municipal Service	
3.	Deputy Commissioner	-	75%	25% Officers of SAS/ departmental / Municipal Service	
4.	Zone Commissioner	-	-	Officers of SAS/ departmental /Municipal Service	
5.	Corporation Secretary	-	100%	-	
6.	Law Officer	100%	-	-	
7.	Social Welfare Officer	100%	-	-	
8.	Office Superintendent	-	100%	-	
9.	Assistant Office Superintendent / Assistant Grade-I	-	100%	-	
10.	Accountant	-	100%	-	
11.	Assistant Grade-II	-	100%	-	
12.	Assistant Grade-III	75%	25%	-	
13.	Record Keeper	-	100%	-	
14.	Daftari	-	100%	-	
15.	Peon	100%	-	-	
16.	Stenographer Grade-I	-	100%	-	
17.	Stenographer Grade -II	-	100%	-	
18.	Stenographer Grade -III	67%	33%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Steno typist	100%	-	-	
20.	Programmer (e-Governance Officer)	50%	50%	-	
21.	Assistant Programmer (MIS Associate)	100%	-	-	
22.	Technical Assistant (GIS Associate)	100%	-	-	
23.	Public Relations Officer (PRO)	50%	50%	-	
24.	Assistant Public Relations Officer	50%	50%	-	
25.	Public Relations Assistant	100%	-	-	
26.	Chief Accounts Officer	-	100%	-	
27.	Accounts Officer	-	100%	-	If posts cannot be filled, posting from other services shall be done
28.	Assistant Accounts Officer	75%	25%	-	
29.	Chief Engineer	-	100%	-	If posts cannot be filled, posting from other services shall be done
30.	Superintending Engineer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
31.	Executive Engineer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
32.	Assistant Engineer	-	73%	27%	
33.	Sub Engineer	95%	5%	-	If posts cannot be filled, posting from other services shall be done
34.	Draftsman	-	100%	-	
35.	Assistant Draftsman	100%	-	-	
36.	Timekeeper / Works Assistant	100%	-	-	
37.	Chemist	100%	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	Mechanic	100%	-	-	
39.	Driver	100%	-	-	
40.	Electrician / Head Mistry	100%	-	-	
41.	Fitter	100%	-	-	
42.	Pump Operator / Pump Attendant	100%	-	-	
43.	Pump Assistant	100%	-	-	
44.	Plumber	100%	-	-	
45.	Town Planner	-	100%	-	If posts cannot be filled, posting from other services shall be done
46.	Assistant Town Planner	50%	-	50%	
47.	Health Officer	-	100%	-	
48.	Assistant Health Officer	100%	-	-	
49.	Chief Sanitary Inspector	-	100%	-	
50.	Senior Sanitary Inspector	-	100%	-	
51.	Sanitary Inspector	50%	50%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
52.	Sanitary Supervisor / Sanitary Daroga	100%	-	-	
53.	Ayurveda Medical Officer	100%	-	-	
54.	Revenue Officer / Estate Officer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
55.	Assistant Revenue Officer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
56.	Property Tax Officer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
57.	Revenue Inspector	50%	50%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
58.	Revenue Sub-inspector	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
59.	Assistant Revenue Inspector	75%	25%	-	
60.	Garden Officer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
61.	Garden Superintendent/ Garden Supervisor	-	100%	-	
62.	Gardener	100%	-	-	
63.	Senior Swimming Trainer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
64.	Junior Swimming Trainer	100%	-	-	
65.	Principal	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
66.	Lecturer	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
67.	Upper Grade Teacher	-	100%	-	If posts cannot be filled posting from other services shall be done
68.	Physical Instructor	100%	-	-	
69.	Assistant Teacher	100%	-	-	
70.	Laboratory Assistant	100%	-	-	
71.	Librarian	100%	-	-	
72.	Building Inspector	100%	-	-	
73.	Garden Inspector	100%	-	-	
74.	Patwari	100%	-	-	
75.	Community Organizer	100%	-	-	
76.	Environment Officer	-	100%	-	
77.	Assistant Environment Officer	100%	-	-	

SCHEDULE-III  
(See rule 5)

Sl. No.	Name of the post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational requirements
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Law Officer	21 years	30 Years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh)	Degree in Law from a recognized University
2.	Social Welfare Officer	..do..	..do..	Post Graduate Degree in MSW from a recognized University
3.	Assistant Grade- III	18 years	..do..	(1) Passed (10+2). Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).
4.	Peon	..do..	..do..	Passed in Eighth Standard
5.	Stenographer Grade-III	..do..	..do..	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography

SCHEDULE-III  
(See rule 5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>(Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(c) For Bilingual Stenographer-Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall taken)</p>
6.	Steno typist	..do..	..do..	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,</p> <p align="center">OR</p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma /Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>
7.	Programmer (e-Governance Officer)	..do..	..do..	<p>First Class or equivalent grade in B.E./B.Tech / IT or Computer Science or Information Technology OR MCA /MSc /PG Degree in IT / Computer Science /Information Technology</p>
8.	Assistant Programmer (MIS Associate)	21 years	..do..	<p>First Class in BE / B.Tech / BSc (Engg) or Degree with 60% or equivalent grade</p> <p align="center">OR</p> <p>MCA / MCM / PG in IT / Physics / Mathematics / Statistics / Operation Research / Economics / M.Sc Computer Science with First Class / M.A or</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Graduation with 60% or equivalent grade. OR BCA / BCM / Degree in IT, Physics / Mathematics / Statistics / Operation Research / Economics / B.Sc / B.A Computer Science / PG Diploma in Computer Application or minimum percentage marks or equivalent grade.
9.	Technical Assistant (GIS Associate)	..do..	..do..	(a) Engineering Technology /Non-Engineering:- Second Class Diploma in the relevant subject from any recognized Polytechnic Institute; OR Competency Certificate in the relevant trade from Industrial Training Institute and minimum five years of work experience; OR (b) Science:- Graduation Degree, Second Class from any recognized institute.
10.	Public Relations Officer (PRO)	..do..	..do..	1. PG Degree from any recognized University; 2. Diploma in Photography from any recognized institute. 3. Degree / Diploma in Journalism with 3 years of working experience.
11.	Assistant Public Relations Officer (PRO)	..do..	..do..	1. PG Degree from any recognized University; 2. Diploma in Photography from any recognized institute. 3. Degree / Diploma in Journalism with 3 years of working experience.
12.	Public Relations Assistant	18 years	..do..	1. PG Degree from any recognized University; 2. Diploma in Photography from any recognized institute.
13.	Assistant Accounts Officer	21 years	..do..	Commerce Graduation degree from any recognized University and PGDCA
14.	Sub-Engineer	..do..	..do..	Three-years Diploma or equivalent qualification from any recognized University in Civil / Mechanical / Electrical OR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				BD Degree from any recognized University
15.	Assistant Draftsman	18 years	..do..	Diploma in Architecture OR Certificate from ITI in Civil Engineering in Draftsmanship OR Certificate in Professional Survey (Surveyor Trade Certificate) OR Apprentice Certificate from Industrial Council of Vocation Training (Three years)
16.	Timekeeper /Works Assistant	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2)Diploma in Tracer course from recognized Polytechnic Institute.
17.	Chemist	..do..	..do..	B.Sc. degree from any recognized University
18.	Mechanic	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2) Certificate from any recognized ITI in Motor Mechanic trade.
19.	Driver	..do..	..do..	(1) Should have passed 8 <sup>th</sup> standard from recognized Board. (2) Should have Light and Heavy Motor License.
20.	Electrician / Head Mistry	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2) Certificate of Electrician trade from Industrial Training Institute.
21.	Fitter	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2) Certificate of Fitter trade from Industrial Training Institute.
22.	Pump Operator / Pump Attendant/ Pump Assistant	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2) Certificate of Electrician trade from Industrial Training Institute.
23.	Plumber	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Board. (2) Certificate of Plumber trade from Industrial Training Institute.
24.	Assistant Town Planner	21 years	..do..	PG Degree in Town Planning from any recognized University
25.	Assistant Health Officer	..do..	..do..	MBBS degree from any recognized University.
26.	Sanitary Inspector	..do..	..do..	B.Sc. degree in Biology subject from any recognized University and Diploma in Sanitary Inspector course from any recognized institute.
27.	Sanitary Supervisor / Sanitary Daroga	18 years	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination with Science subject from recognized Board.
28.	Ayurveda Medical Officer	21 years	..do..	BAMS Degree from any recognized University
29.	Revenue Inspector	..do..	..do..	PG Degree from any recognized University and Degree or Diploma in Computer Application from any recognized Institute
30.	Assistant Revenue Inspector	18 years	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2) Should have Degree/ diploma in Computer Application from any recognized institute.
31.	Garden Superintendent / Garden Supervisor	21 years	..do..	Degree in Horticulture from any recognized University of Agriculture
32.	Gardener	18 years	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board. (2)Certificate in gardening from any recognized institute
33.	Junior Swimming Trainer	..do..	..do..	(1) Should have passed Higher Secondary Examination with Science from recognized Board. (2) Certificate in swimming from Sports Authority of India
34.	Physical Instructor	..do..	..do..	Degree from any recognized University with Physical Education as a subject

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	Assistant Teacher	..do..	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board and BTI Training and diploma in Computer Application
36.	Laboratory Assistant	..do..	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination with Science from recognized Board.
37.	Librarian	21 years	..do..	Degree in Library Science from any recognized University.
38.	Garden Inspector	..do..	..do..	Degree in Gardening from any recognized Agriculture University.
39.	Patwari	18 years	..do..	Should have passed Higher Secondary Examination from recognized Board and Certificate in Computer Application from any recognized Institute.
40.	Building Inspector	..do..	..do..	Diploma in Civil Engineering from any recognized institute
41.	Community Organizer	21 years	..do..	Graduation Degree from any recognized University
42.	Assistant Environment Officer	..do..	..do..	B.Tech Degree in Environment from any recognized University

SCHEDULE-IV  
(See rule 11)

S. No.	Post to which promotion will be made	Post from which promotion will be made	Minimum years of service in post at column (3) for promotion to post in column (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Deputy Commissioner	Secretary, Corporation / Revenue Officer	5 years of work experience
2.	Corporation Secretary	Office Superintendent	5 years of work experience
3.	Office Superintendent	Assistant Office Superintendent/ Assistant Grade-I	5 years of work experience
4.	Assistant Office Superintendent / Assistant Grade-I	Assistant Grade-II / Accountant/ Record Keeper	5 years of work experience
5.	Accountant	Assistant Grade-III	5 years of work experience, and training in Accounts
6.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-III	5 years of work experience
7.	Assistant Grade-III	Such Class-IV employees who have passed Higher Secondary Examination	5 years of work experience
8.	Record Keeper	Assistant Grade-III	5 years of work experience
9.	Daftari	Peon	5 years of work experience
10.	Stenographer Grade-I	Stenographer Grade-II	5 years of work experience
11.	Stenographer Grade -II	Stenographer Grade-III	5 years of work experience
12.	Stenographer Grade-III	Steno-typist	5 years of work experience
13.	Programmer (e-Governance Officer)	Assistant Programmer (MIS Associate)	5 years of work experience
14.	Public Relations Officer (PRO)	Assistant PRO	5 years of work experience
15.	Asst. PRO	PR Assistant	5 years of work experience
16.	Chief Account Officer	Accounts Officer	5 years of work experience
17.	Accounts Officer	Assistant Accounts Officer	5 years of work experience
18.	Assistant Accounts Officer	Accountant	5 years of work experience
19.	Chief Engineer	Superintending Engineer	5 years of work experience
20.	Superintending Engineer	Executive Engineer (Civil / Mechanical / Electrical)	5 years of work experience
21.	Executive Engineer	Assistant Engineer (Civil / Mechanical / Electrical)	5 years of work experience

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	Assistant Engineer	Sub Engineer / Draftsman	10 years of work experience
23.	Sub-Engineer	Works Assistant / Time Keeper	10 years of work experience
24.	Draftsman	Assistant Draftsman	5 years of work experience
25.	Health Officer (M.B.B.S)	Asstt Health Officer (M.B.B.S)	5 years of work experience
26.	Health Officer (Non M.B.B.S)	Chief Sanitary Inspector	5 years of work experience
27.	Chief Sanitary Inspector	Senior Sanitary Inspector	5 years of work experience
28.	Senior Sanitary Inspector	Sanitary Inspector	5 years of work experience
29.	Sanitary Inspector	Sanitary Supervisor / Safai Daroga	5 years of work experience and preference shall be given to Diploma holder from recognized institution in concerned subject.
30.	Revenue Officer / Estate Officer	Assistant Revenue Officer / Property Tax Officer	5 years of work experience
31.	Assistant Revenue Officer	Revenue Inspector	5 years of work experience
32.	Property Tax Officer	Revenue Inspector	5 years of work experience
33.	Revenue Inspector	Revenue Sub-inspector	5 years of work experience
34.	Revenue Sub-Inspector	Assistant Revenue Inspector	5 years of work experience
35.	Assistant Revenue Inspector	Such Class-IV employees who have passed Higher Secondary Examination	5 years of work experience
36.	Garden Officer	Garden Superintendent	5 years of work experience
37.	Garden Superintendent	Garden Inspector	5 years of work experience
38.	Senior Swimming Trainer	Junior Swimming Trainer	5 years of work experience
39.	Principal	Lecturer	According to the provisions prevailing in Education department
40.	Lecturer	Upper Grade Teacher / Head Master	According to the provisions prevailing in Education department
41.	Upper Grade Teacher	Assistant Teacher	According to the provisions prevailing in Education department
42.	Environment Officer	Assistant Environment Officer	5 years of experience as Assistant Environment Officer
43.	Town Planner	Assistant Town Planner	5 years of work experience

- NOTE -** (1) The post of Accountant will first be filled up from Assistant Grade-III. Thereafter the post of Assistant Grade-II will be filled up from Assistant Grade-III. Thereafter the posts of Record Keeper will be filled up.
- (2) First the posts of Assistant Grade-III and thereafter Assistant Revenue Inspector shall be filled up through promotion of Class-IV employees.

**Committee for Posts Under Mayor-in-Council / Commissioner**  
[See rule 8 (4) and 11(1)]

**Committee For Direct Recruitment And Promotion**

**(I) For postings under the authority of the Mayor-in-Council:-**

- |     |  |   |                                  |
|-----|--|---|----------------------------------|
| (1) | Commissioner   | - | Chairman                         |
| (2) | Head of the department concerned   | - | Member                           |
| (3) | Nominee of the Director,<br>Urban Administration & Development,<br>who shall not be below the rank of<br>Deputy Director | - | Member                           |
| (4) | Officer nominated by the Commissioner  | - | Member Secretary<br>and Convener |

**(II) For postings under the authority of the Commissioner:-**

- |     |   |   |                                  |
|-----|---|---|----------------------------------|
| (1) | Additional Commissioner or Deputy<br>Commissioner                     | - | Chairman                         |
| (2) | Head of the department concerned<br>(where posts are to be filled up) | - | Member                           |
| (3) | Another Head of Department<br>nominated by Commissioner               | - | Member                           |
| (4) | Officer nominated by the Commissioner                                 | - | Member Secretary<br>and Convener |